फा.सं. 4-181/2017-रा.म.आ. (प्रशा.)
राष्ट्रीय महिला आयोग
प्रशासन विभाग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2017

विषय: आयोग की 175वीं बैठक के कार्यवृत्त - के संबंध में

राष्ट्रीय महिला आयोग के कांफ्रेंस हाल में तारीख 20 जुलाई, 2017 को 3.00 बजे अपराह्न में आयोजित आयोग की 175वीं बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

2. यह अनुरोध है कि यदि उपर्युक्त बैठक और कार्यसूची मदों के संबंध में कोई विनिश्चय किया गया है और उसकी बाबत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, यदि कोई हो तो उसे आयोग की आगामी बैठक के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

(आर.सी.आहूजा)
अवर सचिव

सलंग्न: यथा उपरोक्त
सेवा में:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सदस्य(रेखा शर्मा), सदस्य(सुषमा साहू), सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
3. सदस्य-सचिव के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
5. उप सचिव के निजी सहायक
6. अवर सचिव(आर.सी.)/वेतन और लेखा अधिकारी

प्रति: ज्येष्ठ प्रोग्रामर राष्ट्रीय महिला आयोग: लोकल सर्वर में इसे अपलॉड करने के लिए

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के कांफ्रेंस हाल में तारीख 20 जुलाई, 2017 को 3.00 बजे अपराह्न में आयोजित आयोग की 175वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1.	सुश्री ललिता कुमारमंगलम	अध्यक्ष
2.	सुश्री रेखा शर्मा	सदस्य
3.	श्रीमति सुषमा साहू	सदस्य
4.	डा. सतबीर बेदी	सदस्य-सचिव

बैठक में निम्नलिखित भी उपस्थित थे:-

1.	श्री कुन्दल लाल शर्मा	संयुक्त सचिव
2.	श्री वी.वी.बी.राजू	उप सचिव
3.	श्री आर.सी. आहूजा	अवर सचिव

आरंभ में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग की बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य अधिकारियों का स्वागत किया ।

इसके पश्चात् निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया:-

कार्यसूची मद सं. 1:

तारीख 22 जून, 2017 को आयोजित आयोग की 174वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 22 जून, 2017 को आयोजित आयोग की 174वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2:

बालक देख-रेख छुट्टियों के पुनर्विलोकन पर परामर्श रिपोर्ट का अनुसमर्थन।

अनुसमर्थन किया गया।

(कार्रवाई: पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 3:

महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर, पंजाब में तारीख 2 जून 2017 को आयोजित लिंग (जेंडर) संवेदनशीलता और पुलिस भर्ती के लिए (उपाधिक्षक स्तर) महिला संबंधी विधियों का उचित क्रियान्वयन।

आयोग ने इस प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन किया।

(कार्रवाई: शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 4:

जांच समिति की रिपोर्ट

आयोग ने 5 जांच समितियों की रिपोर्ट पर विचार किया और यह उल्लिखित किया कि:-

- जांच करने के लिए, जिसके अन्तर्गत आयोग में निहित की गई शक्तियों के निबन्धनों के अनुसार जांच का विस्तार भी शमिल हैं, मानक प्रचालन प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता है;

- निष्कर्ष और विचार संपोषक साक्ष्य द्वारा समर्थित होने चाहिए और स्पष्ट रूप से उन्हें सामने लाया जाना चाहिए;

- दो वर्गों में सिफारिशें की जाएगी: (क) मामले को विनिर्दिष्ट करती हो: (ख) साधारण सिफारिशें, जिसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विधियों की वे विनिर्दिष्ट धाराएं होंगी जिनका, संशोधन किया जाना है, शामिल है;

- रिपोर्ट में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए तथा उसे अंतिम रूप देने से पहले उसके सबूत (प्रूफ) को पढ़ा जाएगा।

(कार्रवाई: शिकायत और अन्वेषण तथा पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 5:

जसोला स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग की बाबत वर्ष 2017-18 के लिए संपत्ति कर का संदाय।

आयोग ने तारीख 30 जून, 2017 से पहले संपत्ति कर का संदाय करने के संबंध में किए गए विनिश्चय का अनुसमर्थन किया और संदेय कर का 15 प्रतिशत बचाने के लिए तुरन्त की गई कार्रवाई की सराहना की।

(कार्रवाई: प्रशासन अनुभाग)

कार्यसूची मद सं. 6:

राजभाषा प्रकोष्ठ को सृजित करने के प्रस्ताव का अनुसर्मथन ।

आयोग ने इस प्रकोष्ठ को सृजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। आयोग ने भारत सरकार या समतुल्य में के उप सचिव/उप विधिक सलाहकार/अवर सचिव/सहायक विधिक सलाहकार के स्तर के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी को जिसकी विधिक पृष्ठभूमि हो, आरम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे और आगे बढ़ाया जा सकता है 75000 रूपये प्रतिमास के समेकित पारिश्रमिक पर विधिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया।

(कार्रवाई: प्रशासन अनुभाग)

अन्य मद:

आयोग ने यह भी निर्णय किया की एक पखवाड़े में कम से कम एक बार आयोग की बैठक बुलाई जानी चाहिए।

(कार्रवाई: प्रशासन अनुभाग)

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(डा. सतबीर बेदी)
सदस्य सचिव, रा.म.आ.

(ललिता कुमारमंगलम)
अध्यक्ष, रा.म.आ.